



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2011/चैत्र 8, 1933

No. 532]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2011/CHAITRA 8, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

आय-कर

का.आ. 647(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 28कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“लाभांशों से भिन्न आय से निम्नतर दर पर कर की कटौती करने या कटौती न करने का प्रमाणपत्र

28कक (1) जहां निर्धारण अधिकारी, नियम 28 के उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति का विद्यमान और प्राक्कलित कर दायित्व, यथास्थिति, निम्नतर दर पर कर की कटौती करने या कर की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराता है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी निम्नतर दर पर कर की कटौती करने या कर की कटौती न करने के लिए धारा 197 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विद्यमान और प्राक्कलित दायित्व निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अवधारित किया जाएगा :-

(i) निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की प्राक्कलित आय पर संदेय कर;

(ii) पिछले तीन पूर्व वर्षों की, यथास्थिति, निर्धारित या विवरणी आय पर संदेय कर;

(iii) आय-कर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन विद्यमान दायित्व;

- (iv) नियम 28 के उप-नियम (1) के अधीन पूर्व वर्ष से आवेदन करने की तारीख तक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अग्रिम कर संदाय;
- (v) नियम 28 के उप-नियम (1) के अधीन पूर्व वर्ष से आवेदन करने की तारीख तक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती;
- (vi) नियम 28 के उप-नियम (1) के अधीन पूर्व वर्ष से आवेदन करने की तारीख तक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए स्रोत पर संग्रहीत कर।
- (3) प्रमाणपत्र पूर्व वर्ष की ऐसी अवधि के लिए, जो प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए, विधिमान्य होगा, जब तक कि वह निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय रद्द न किया जाए।
- (4) प्रमाणपत्र केवल कर की कटौती के लिए उत्तरदायी और उसमें नामित व्यक्ति के लिए ही विधिमान्य होगा।
- (5) प्रमाणपत्र, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी आवेदन करने वाले व्यक्ति को सलाह के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सीधे जारी होगा।”
- (ख) नियम 31क के, उपनियम (4) में खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- “(v) पाने वाले के निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन कर की कोई कटौती न करने का प्रमाणपत्र जारी करने को ध्यान में रखते हुए संदत्त या जमा की गई उस रकम की विशिष्टियां देगा जिस पर कर की कटौती नहीं की गई थी;
- (vi) पाने वाले द्वारा धारा 194ग की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए संदत्त या जमा की गई उस रकम की विशिष्टियां देगा जिस पर कर की कटौती नहीं की गई।”
- (ग) परिशिष्ट-II में, प्ररूप सं. 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 13

[नियम 28 और 37छ देखिए]

कर की कटौती/कर का संग्रहण न करने या किसी निम्नतर दर पर कर की कटौती/संग्रहण के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 197 और/अथवा 206ग(9) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन।

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

मैं,, निवासी यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे आय/वैतन के रूप में राशि/प्रतिभूतियों पर ब्याज/ “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज/बीमा कमीशन/कमीशन (जो बीमा कमीशन नहीं है) या लाटरी टिकटों के विक्रय पर दलाली/कमीशन आदि/वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ठेकेदारों और ठेकेदारों को संदाय के रूप में किसी राशि/लाभांशों/किराए/यूनिटों की बाबत आय/स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय के रूप में राशि (जो लागू न हो उसे काट दें) का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, ऐसी आय/राशि को मुझे संदाय करने के समय आय-कर की कटौती न करने/आय-कर की कटौती करने के लिए प्रतिशत की दर से उसे प्राधिकृत करने संबंधी एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मेरी आय की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे पैरा 2 के अनुसार हैं।

और/या

मैं,, निवासी यह अनुरोध करता हूँ कि विक्रेता को, जो मेरे द्वारा के

[धारा 206ग की उप-धारा (1) की सारणी में निर्दिष्ट माल की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें]

क्रेता के रूप में

[धारा 206ग की उप-धारा (1) में की सारणी में निर्दिष्ट संविदा या अनुज्ञप्ति या पट्टे की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें]

के पट्टेदार या अनुज्ञप्ति धारी के रूप में [जो लागू न हो उसे काट दें] संदेय राशि की बाबत मेरे से कर संग्रहीत करने वाला व्यक्ति है, यथास्थिति मेरे खाते में ऐसी राशि नामे डाले जाने के समय या मेरे से उसकी प्राप्ति के समय प्रतिशत की दर से आय कर संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करने संबंधी एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए। मेरी आय की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे पैरा 2 के अनुसार हैं।

2. मेरी आय की विशिष्टियाँ और अन्य ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) प्रास्थिति

(बताएं क्या व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यक्ति निकाय, कंपनी आदि है)

(ii) निवासीय प्रास्थिति

(क्या निवासी है/निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं है/अनिवासी है)

(iii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन)

(iv) कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टेन)

(v) विवरणी/विवरण जो देय है किन्तु फाइल नहीं की गई है का ब्यौरा :

वह धारा जिसके अधीन विवरणी/विवरण देय हो गई है	निर्धारण वर्ष/तिमाही	फाइल करने के लिए शोध्य तारीख	फाइल नहीं किए जाने के लिए कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 139			
धारा 200			

(vi) अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के लिए लौटाई गई आय/निर्धारण की गई आय का ब्यौरा :

(फाइल की गई आय की विवरणी की प्रतियाँ उनके संलग्नक के साथ संलग्न करें और अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण आदेश, यदि निर्धारण किया गया है, की प्रतियाँ)

निर्धारण वर्ष	आय की विवरणी के अनुसार कुल आय	नवीनतम निर्धारण के अनुसार कुल आय	विवरणी में दी गई आय पर शोध्य जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है कुल कर	निर्धारण की गई आय पर कुल कर जिसमें संदेय ब्याज भी सम्मिलित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(vii) अंतिम तीन निर्धारण वर्ष के लिए कर संदाय का ब्यौरा :

निर्धारण वर्ष	कुल कर का भुगतान कर जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है	अग्रिम कर के रूप में संदत्त कर	स्रोत पर काटे गए कर के लिए दावा किया गया प्रत्यय	स्रोत पर संग्रहण किए गए कर के लिए दावा किया गया प्रत्यय	स्वनिर्धारण कर के रूप में संदत्त कर	धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के उत्तर में संदत्त कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(viii) उस निर्धारिती की दशा में पिछले तीन पूर्व वर्षों के लिए विक्रय, लाभ आदि के ब्यौरे जिसकी आय में शीर्ष "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" के अधीन आय सम्मिलित है :

(पिछले तीन पूर्व वर्षों के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि संपरीक्षा की गई हो, के साथ लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)

पूर्व वर्ष	कारबार या वृत्ति की कुल विक्रय, व्यापरावर्त प्राप्ति	कुल लाभ		शुद्ध लाभ	
		रुपए में	स्तंभ (1) में कथन की गई रकम प्रतिशत में	रुपए में	स्तंभ (1) में कथन की गई रकम प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ix) आय-कर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम 1957 के अधीन विद्यमान दायित्व के ब्यौरे :—

निर्धारण वर्ष/ अवधि	आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन दायित्व				धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन संदेय रकम
	अग्रिम कर के संबंध में संदेय रकम	स्वतः निर्धारण कर के लिए संदेय रकम	रकम जिसके लिए धारा 156 के अधीन मांग की सूचना की तामील हो गई है किन्तु संदत्त नहीं की गई है	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता के रूप में संदेय रकम जो शोध्द हो गई थी किन्तु संदत्त नहीं की गई है	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(x) निर्धारण वर्ष जिससे संदाय संबंधित हैं

(xi) ऊपर (x) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व की प्राक्कलित कुल आय

(विस्तृत संगणना और उसका आधार बताएं)

(xii) (xi) में दी गई आय पर संदेय ब्याज सहित कुल कर

(xiii) स्तंभ (ix) और स्तंभ (xii) में उल्लिखित दायित्व को किस प्रकार उन्मोचित किया जाना प्रस्तावित है ?

(xiv) वर्तमान पूर्व वर्ष से आज की तारीख तक संगत निर्धारण वर्ष के लिए अग्रिम कर और पहले ही कटौती किए गए/संग्रहीत कर के संदाय के ब्यौरे :—

पूर्व संदत्त कर की प्रकृति	संदाय/कटौती/संग्रहण की तारीख
अग्रिम कर	
स्रोत पर कर कटौती	
स्रोत पर कर संग्रहण	

(xv) स्तंभ (xi) में छूट दिए जाने के लिए दावा की गई और कुल आय में सम्मिलित न की गई आय के ब्यौरे (कृपया ऐसी छूट का दावा करने के कारण देने वाला एक टिप्पण उपाबद्ध करें)

(xvi) कृपया कर की कटौती न करने या, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम की धारा 197 के अधीन निम्नतर दर पर कर की कटौती करने की बाबत विशिष्टियां उपाबंध 1 में और/अथवा धारा 206ग(9) के अधीन निम्नतर दर पर कर के संग्रहण की बाबत विशिष्टियां उपाबंध 2 में प्रस्तुत करें।

*मैं.....जो.....का न्यासी/सह न्यासी हूं, यह घोषणा करता हूं कि उपाबंध में जिन प्रतिभूतियों/राशियों/शेयरों (अंशों) की विशिष्टियां दी गई हैं, वे न्यास के अंतर्गत पूर्णतया पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए समुचित रूप से रखी हुई हैं और यह कि उनसे होने वाली आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अधीन छूट के लिए अर्हक हैं।

*मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर अनुसूचियों में जिन प्रतिभूतियों/राशियों/शेयरों की विशिष्टियां दी गई हैं, वे मेरे नाम में हैं और फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं तथा उससे होने वाली आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह सही है।

तारीख.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

पता

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

उपाबंध 1

[स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए]

कृपया उन संदायों की बाबत, जिनके लिए प्रमाण-पत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई अनुसूचियों में विशिष्टियां प्रस्तुत करें।

अनुसूची 1

प्रतिभूतियों का वर्णन	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों की तारीख	प्रतिभूतियों की रकम	प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची 2

क्रम सं.	उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे ब्याज पर राशियां दी गई हैं	ऐसी राशियों की रकम	वह तारीख, जिसको ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई	वह अवधि, जिसके लिए ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई	ब्याज की दर	प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 3

क्रम सं.	बीमा कमीशन का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	बीमा कमीशन की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 4

क्रम सं.	कम्पनी का नाम और पता	शेयरों की संख्या	शेयरों का वर्ग और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की सुभिन्न सं.	प्राप्त किए जाने वाले लाभांश की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 5

क्रम सं.	नियोजक का नाम और पता	नियोजन की अवधि	प्राप्त वेतन की रकम	गृह सम्पत्ति से आय	वेतन और गृह सम्पत्ति से आय से भिन्न स्रोतों से आय	अनुमानित कुल आय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 6

क्रम सं.	किराये का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त किए जाने वाले किराये की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 7

क्रम सं.	पारस्परिक निधि का नाम और पता	यूनिटों की संख्या	यूनिटों का वर्ग और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिटों का कुल अंकित मूल्य	यूनिटों की सुभिन्न सं.	प्राप्त की जाने वाली आय की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची 8

क्रम सं.	कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त की जाने वाली कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली की अनुमानित रकम
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 9

क्रम सं.	उस प्राधिकारी/व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसके साथ संविदा की गई थी	संविदा की तारीख	संविदा की प्रकृति	वह तारीख जिसको संविदा में का कार्य पूरा होगा	चालू वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों में से प्रत्येक के दौरान संविदा के अनुसरण में जमा/संदत की जाने के लिए संभावित राशियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची 10

क्रम सं.	लाटरी की टिकटों की बिक्री पर कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता	प्राप्त की जाने वाली कमीशन/पारिश्रमिक/पुरस्कार की अनुमानित रकम (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 11

क्रम सं.	वृत्तिक/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता (पते)	वृत्तिक/तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली फीस की अनुमानित रकम (जो लागू न हो उसे काट दें)
(1)	(2)	(3)

अनुसूची 12

क्रम सं.	उस व्यक्ति का नाम और पता, जो प्रतिकर या बढ़ाए गए प्रतिकर या प्रतिफल या बढ़ाए गए प्रतिफल का स्थावर सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन किए जाने के कारण संदाय करने के लिए उत्तरदायी है	प्रतिकर या बढ़ाए गए प्रतिकर या प्रतिफल या बढ़ाए गए प्रतिफल की प्राक्कलित रकम
(1)	(2)	(3)

तारीख.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

पता

उपाबंध 2

[स्रोत पर कर के संग्रहण के प्रयोजन के लिए]

कृपया उन संदेय रकमों की विशिष्टियाँ दें जिनके नीचे दी गई 'अनुसूचियों' में प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है :

अनुसूची 1

क्रम सं.	विक्रेता का पूरा नाम और पता	विक्रय की तारीख ऐसे विक्रय के निर्देश सं. सहित	विक्रीत माल की प्रकृति और वर्णन तथा विक्रय के ब्यौरे	चालू वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विक्रय के अनुसरण में नाम डाले जाने वाली/संदत की जाने वाली संभावित रकमों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची 2

क्रम सं.	उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसे पट्टा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है	पट्टा या अनुज्ञप्ति या संविदा या अधिकार का अंतरण अनुदत्त करने की तारीख संदर्भ संख्या सहित	संविदा या अनुज्ञप्ति या पट्टा की प्रकृति और संविदा का वर्णन और ब्यौरे	चालू वित्तीय वर्ष और ठीक तीन उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान संविदा के अनुसरण में नाम डाले जाने वाली/संदत किए जाने के लिए आशयित रकमों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख.....

.....
क्रेता के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम.....

[अधिसूचना सं. 16/2011/फा.सं. 133/11/2011-एसओ(टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2011 अधिसूचना सं. का.आ. 495(अ), तारीख 9 मार्च, 2011 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।